



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-17092026-276304
CG-GJ-E-17092026-276304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]
No. 553]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/ भाद्र 19, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/ BHADRA 19, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 8 सितंबर, 2026

अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) विनियम, 2026

फा.सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/016.— अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1); भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ब के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नांकित नियम बनाता है, अर्थातः

अध्याय I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

- (1) इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में कुछ और न कहा गया हो, यहां परिभाषित शब्दों का वही तात्पर्य होगा जो नीचे दिया गया है, और उनसे जुड़े शब्दों का तात्पर्य भी उसी के अनुसार समझा जाएगा, -

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;
- (ख) "एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्रणाली (एटीएस)" का तात्पर्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रियाओं और उन विधियों से है जिनका उपयोग प्रणाली-संचालित निष्पादन तंत्र का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन आरंभ करने के लिए किया जाता है;
- (ग) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (घ) 'सक्षम प्राधिकरण' का तात्पर्य है:
 - (i) अध्यक्ष; या
 - (ii) अध्यक्ष द्वारा यथा-निर्धारित पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की समिति या प्राधिकरण का/के अधिकारी।
- (ङ) "योग्य लिखत" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित प्रतिभूतियों, पैसा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न, या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट अन्य लिखतों से है।
स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि इस परिभाषा के दायरे में इस खंड में बताई गई वे लिखतें भी शामिल होंगी जो भारतीय रुपये में निर्धारित की गई हैं लेकिन जिनका निपटान किसी विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में किया जाता है।
- (च) "योग्य क्षेत्राधिकार" का तात्पर्य पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकारों से है;
- (छ) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है, जिसके माध्यम से भागीदार नियमित रूप से एक या अधिक योग्य लिखतों के विक्रय, क्रय या विनिमय की पेशकश देते हैं और जो, ऐसी पेशकश को स्वीकार किए जाने पर, प्रतिभागियों के मध्य ऐसी योग्य लिखतों का इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से समाशोधन और निपटान सक्षम बना सकता है;
- (ज) "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर)" का तात्पर्य विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है;
- (झ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)" का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत इसे दिया गया है;
- (ञ) "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का वही तात्पर्य होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (51) में इसे दिया गया है;

- (ट) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "बाजार दुरुपयोग" का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी प्रतिभागी द्वारा मैन्युअल रूप से या एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से अन्य प्रतिभागी(यों) को अनुचित रूप से हानि पहुँचाने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मूल्य तंत्र को विकृत करना, या योग्य लिखितों के लिए बनावटी आपूर्ति और मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर की गई कार्रवाई से है;
- (ठ) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "निवल मूल्य" का तात्पर्य प्रदत्त इक्विटी पूंजी, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर, मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाता में शेष और परिसंपत्ति की बिक्री से होने वाले अधिशेष को दर्शाने वाले पूंजीगत रिज़र्व से है, लेकिन इसमें संचित हानि शेष, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही-खाता मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, के लिए समायोजित परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित रिज़र्व शामिल नहीं होंगे;
- स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय, संचयी या असंचयी अधिमान शेयर, जो अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है, और शेयरधारक समझौता(तों) में ऐसी अधिमान पूंजी को किसी भी समय आहरित करने पर स्पष्ट रूप से निषेध होना चाहिए।
- (ड) "प्रतिभागी" का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से योग्य लिखित में लेन-देन करने वाले व्यक्ति से है;

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए शब्द और वाक्यांश, लेकिन जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10), या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम में परिभाषित हैं, उनका वही तात्पर्य होगा जो उस अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए या उनमें किए गए किसी सांविधिक परिवर्तन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किया गया है।

अध्याय II

रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

- (1) कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तब तक संचालित नहीं कर सकता जब तक उसने इन विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त न किया हो:

बशर्ते कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की बैंक इकाई को रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसी इकाई या इसका मूल बैंक, जैसा भी मामला हो:

- क) अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर योग्य लिखतों में खरीद अथवा बिक्री भावों का एक मात्र प्रदाता हो; और
- ख) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन का प्रतिपक्ष हो।

बशर्ते यह भी कि, यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बाहर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विद्यमान किसी एंटीटी को सेवाएँ देता है, तो उसे इन विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निगमित कंपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने की पात्र होगी:

बशर्ते कि योग्य क्षेत्राधिकार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली एंटीटी (चाहे किसी भी नाम से जानी जाए) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में शाखा स्थापित कर सकती है और इन विनियमों के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण करा सकती है।

बशर्ते यह भी कि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कोई वित्तीय संस्थान भी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित सेवा-शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पाने का पात्र हो सकता है।

- (3) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शुल्क सहित निर्धारित प्ररूप और तरीके से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की आवश्यक शर्तें

- (1) विनियम 3 के अधीन फ़ाइल किए गए आवेदन की जाँच करते समय, प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण देने के आवश्यक कारकों पर विचार करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) आवेदक या उसके प्रवर्तक(कों) का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रबंधन की विशेषज्ञता और वित्तीय सुदृढता;
- (ख) पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य संबंधित अनुभव रखने वाले वैयक्तिकों को नियुक्त करने की क्षमता;
- (ग) द्वितीय अनुसूची में यथा-निर्दिष्ट "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंडों पर खरा उतरने वाले निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और आवेदक के नियंत्रणकर्ता अर्थात् वे वास्तविक व्यक्ति जो अंततः आवेदक के कामकाज, परिसंपत्तियों या कार्यनीतिक निर्णयकर्ता, नियंत्रक, या प्रभावित करने वाले हैं;

स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र माँगने यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की वैधता के दौरान हर समय "उपयुक्त एवं समुचित" बने रहें।

- (घ) जोखिम प्रबंधन प्रणाली और उनसे संबंधित आंतरिक नियंत्रण की सुदृढता;
- (ङ) इन विनियमों में निर्दिष्ट निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने की योग्यता;
- (च) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कारोबार योजना और अनुमानों की व्यवहार्यता।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

- (1) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक, प्रथम दृष्टया, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की शर्तों को पूरा करता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पूर्व आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त शर्तों सहित या इनके बिना "सैद्धांतिक अनुमोदन" जारी कर सकता है:

बशर्ते कि आवेदक को दिया गया "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि आवेदक "सैद्धांतिक अनुमोदन" में विनिर्दिष्ट शर्तों को प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार पूरा करने में असमर्थ रहता है।

(2) प्राधिकरण यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक ने "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान करते समय लगाई गई अन्य शर्तों, यदि कोई हों, सहित इन विनियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उचित समझी गई और नीचे दी गई शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है:

(क) वे योग्य लिखतें जिनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विक्रय, क्रय या विनिमय के लिए पेशकश की जा सकती है;

(ख) ऐसे प्लेटफॉर्म के भागीदार बनने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां।

(3) उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को प्राधिकरण द्वारा समय-समय यथा-निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना होगा।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक कि उसे प्राधिकरण रद्द न कर दे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर उसे अभ्यर्पित न कर दे:

6. रजिस्ट्रीकरण से इनकार

(1) आवेदन की जांच के बाद, यदि प्राधिकरण इस राय पर पहुँचता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जा सकता, तो वह आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा और उन्हें ठीक करने के लिए तीस दिन का समय देगा:

बशर्ते कि प्राधिकरण, अपने विवेकानुसार, तीस दिन की इस अवधि को, जितना वह उचित समझे, और भी बढ़ा सकता है।

बशर्ते यह भी कि, अध्यक्ष की अनुमति के बिना इस अवधि को नब्बे दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा; अध्यक्ष लिखित कारणों के साथ इस अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ा सकते हैं।

(2) यदि आवेदक निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार ऐसी कमियों को ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर देगा और इसके कारणों सहित आवेदक को इसकी सूचना देगा:

बशर्ते कि लिखित अनुरोध फ़ाइल करके अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई इनकार नहीं किया जाएगा।

(3) जिस आवेदक के आवेदन को उप-विनियम (2) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया है, वह प्राधिकरण द्वारा इनकार किए जाने की सूचना देने की तारीख से छह (6) माह की अवधि के बाद रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

7. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्तीकरण

यदि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों, इन विनियम के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की गतिविधियाँ प्रतिभागियों के हितों के विरुद्ध हैं, तो वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त कर सकता है:

बशर्ते कि लिखित अनुरोध फ़ाइल करके अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

8. रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण

- (1) कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर प्राधिकरण के पास अपने रजिस्ट्रीकरण को अभ्यर्पित करने के लिए यथा-निर्दिष्ट प्ररूप और विधि से आवेदन फाइल कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन की जांच करने और इस बात से संतुष्ट होने पर कि रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित करने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाज़ार या भागीदारों के हितों पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राधिकरण यथोचित शर्तों के अधीन अभ्यर्पण की अनुमति दे सकता है।
- (3) रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही प्रभावी होगा।

9. निवल मूल्य अपेक्षाएं

- (1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कंपनी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर का निवल मूल्य हर समय कम से कम यूएसडी 200,000 या किसी निर्धारित विदेशी मुद्रा में इस राशि के समकक्ष होना चाहिए।
- (2) शाखा के रूप में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को, अपनी मूल कंपनी के साथ हर समय कम से कम यूएसडी 200,000 या किसी निर्धारित विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष निवल मूल्य बनाए रखना होगा।
- (3) जोखिम प्रबंधन के उपाय के रूप में, प्राधिकरण किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के ट्रेडिंग के स्वरूप और पैमाने को ध्यान में रखते हुए अधिक निवल मूल्य की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है।
- (4) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह माह के भीतर प्राधिकरण को लेखापरीक्षित निवल मूल्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) आवश्यक निवल मूल्य में कतिपय कमी होने पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को तुरंत पूरा करना होगा और ऐसा होने के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इसके अनुपालन की रिपोर्ट देनी होगी।

अध्याय III**परिचालन दिशानिदेश****10. सामान्य दायित्व**

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को निम्नांकित कार्य करने होंगे:

- (क) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निष्पक्ष और व्यवस्थित ट्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी नियम और प्रक्रियाएँ बनाना और उन्हें बनाए रखना;
- (ख) आदेशों के व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए प्रयोजन मानदंड निर्धारित करना और आवश्यक अवसंरचना तैयार करना;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तकनीकी कामकाज के सही प्रबंधन के लिए प्रणालीगत बाधाओं के जोखिम से निपटने के लिए प्रभावी ट्रेडिंग निरंतरता व्यवस्था करने सहित ठोस प्रबंधन करना और उसका अनुरक्षण करना;
- (घ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए जा सकने वाली योग्य लिखतों को निर्धारित करने के मानदंडों के बारे में पारदर्शी नियम बनाना और उनका अनुरक्षण करना;

- (ड) प्रतिभागियों को सुविचारित निवेश का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिभागियों के स्वरूप और ट्रेड योग्य लिखितों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच प्रदान करना;
- (च) हितों के टकराव की पहचान करके, उसे कम करने, उसका खुलासा करने और उसकी निगरानी के उपायों सहित टकराव के प्रबंधन के लिए व्यापक ढाँचा बनाना और उसका अनुरक्षण करना; इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थितियाँ भी शामिल होंगी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर या उससे जुड़ी कंपनियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिभागियों के रूप में भाग लें;
- (छ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड को निष्पादित या प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभागियों को स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग प्रणाली उपलब्ध कराना;
- (ज) बाज़ार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य, मात्रा और निगरानी के लिए वास्तविक समय सतर्कता प्रणाली स्थापित करना;
- (झ) अन्वेषण, ऊपरी अधिकारियों तक पहुँच और नियामक रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं सहित चिह्नित सतर्कता मामलों से निपटने के लिए परिभाषित प्रक्रियाएँ बनाना;
- (ञ) प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित संचार चैनलों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;
- (ट) प्रतिभागियों का व्यापक नेटवर्क बनाने की क्षमता रखना, और प्रतिभागियों को शामिल करने और उन्हें विनियमित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ रखना;
- (ठ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रेड से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट तरीके और रूप में तंत्र स्थापित करना;
बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रेड के निपटान से या उससे संबंधित किसी भी विवाद के समाशोधन और निपटान लागू कानूनों और संचालन नीति के अनुसार किया जाएगा;
- (ड) वास्तविक समय में ट्रेड, मात्रा और भावों के बारे में सूचना प्रसारित करने की रखना;
- (ढ) पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य संबंधित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करना;
- (ण) यदि पहले दी गई जानकारी में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो तुरंत सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में तत्काल सूचित करें; और
- (थ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी भी अन्य अपेक्षाओं का पालन करें।

11. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भागीदारी

- (1) संस्थान, चाहे विनियमित हों या अविनियमित, संपदा ट्रेड फर्म, निधियाँ, परिवार कार्यालय और निक्षेपागार केन्द्रों सहित, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभागी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेश मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को भी प्रतिभागी के रूप में शामिल किया जा सकता है, यदि उस व्यक्ति को उक्त अधिनियम या

भारत में उस समय लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों के अधीन भारत के बाहर योग्य लिखतों में लेनदेन करने की अनुमति हो।

- (2) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर किसी व्यक्ति को प्रतिभागी के रूप में शामिल करने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भेदभाव वाले मानदंड निर्धारित करेगा।
- (3) किसी व्यक्ति को प्रतिभागी के रूप में शामिल करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा कि वह व्यक्ति:
 - (क) सुप्रतिष्ठित हो;
 - (ख) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने में पर्याप्त क्षमता और अनुभव रखता हो; और
 - (ग) अपने कामकाज के ढंग से वित्तीय और तकनीकी संसाधनों सहित आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थाएं रखता हो।
- (4) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने प्रतिभागियों की पहचान विधिक एंटीटी पहचानपत्र, स्थायी खाता संख्या (पीएएन) या किसी अन्य समान दस्तावेज़ का प्रयोग करके करेगा।

12. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए जाने वाले उत्पाद

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर केवल विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट योग्य लिखतों में ट्रेडिंग की अनुमति देगा।

13. परिचालन नीति

- (1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी परिचालन नीति लागू करेगा जो:
 - (क) वस्तु-निष्ठ, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी; और
 - (ख) प्रत्येक प्रतिभागी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रभावी हो।
- (2) परिचालन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित हेतु प्रावधान होंगे:
 - (क) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर पर प्रतिभागियों को शामिल करना और उन्हें निलंबित और निष्कासित करना,
 - (ख) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की भूमिका और उत्तरदायित्व,
 - (ग) नीति के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिभागियों के लिए देयता ढांचा,
 - (घ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए लागू होने वाले प्रतिबंध या अन्य अपेक्षाएं,
 - (ङ) आदेशों का संसाधन और निष्पादन, और जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण तथा
 - (च) प्रतिभागियों के लिए शिकायत निवारण और विवाद समाधान ढांचा।
- (3) अपनी परिचालन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के उद्देश्यों के लिए, "महत्वपूर्ण परिवर्तन" का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के अपने संविदात्मक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की प्रक्रियाओं, प्रणालियों, प्रदर्शन मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं या नीतियों में बड़ा परिवर्तन होगा।

(4) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भागीदार नीतियों और प्रक्रियाओं सहित, पर्याप्त और प्रभावी प्रणालियां और नियंत्रण स्थापित करके उनका अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिचालन नीति का पालन करेंगे।

(5) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर उस नीति में चिह्नित कमियों या त्रुटियों को तुरंत दूर करेगा।

(6) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अपनी नीति को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालकर जनता के लिए उपलब्ध कराएगा।

14. जोखिम प्रबंधन

(1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर:

(क) जोखिमों के व्यापक प्रबंधन के लिए सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अवसंरचना तैयार करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके संचालन से जुड़े जोखिमों की सही पहचान की जाए और समझदारी से उनका प्रबंधन किया जाए।

(ख) अपने प्रतिभागियों के लिए एक्सेस नियंत्रण उपाय लागू करेगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए कदम उठाएगा।

(ग) प्रभावी प्रणालियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं उपलब्ध करेगा ताकि:

(i) यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी ट्रेडिंग प्रणालियां सुदृढ़ हों, उनमें अधिकतम आदेश और संदेश मात्रा से निपटने की पर्याप्त क्षमता हो, और वे बाजार की तनावपूर्ण परिस्थिति में भी व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकें।

(ii) उन आदेशों को निरस्त कर सकें जो पहले से निर्धारित मात्रा और मूल्य की सीमा से अधिक हों, और अपनी सुविधा पर ट्रेड होने वाले उपयुक्त लिखतों के ट्रेड को, जब उन लिखतों की कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो, कुछ समय के लिए रोक सकें।

(iii) त्रुटिपूर्ण ट्रेड को रोका और कम किया जा सके, ऐसी त्रुटियों का तुरंत पता लगाकर उन्हें ठीक किया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि ये त्रुटियाँ बाजार की अव्यवस्थित गतिविधियों से जुड़ी हैं या नहीं।

(घ) अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर या उसके माध्यम से होने वाले बाजार दुरुपयोग की पहचान करने, उसे रोकने और उससे बचाव के लिए उचित उपाय लागू करेगा और उनका रखरखाव करेगा और प्राधिकरण को किसी भी बाजार दुरुपयोग की तुरंत सूचना देगा।

(2) जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर प्रतिभागियों को एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम (एटीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचने की अनुमति देता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- (क) ऐसी पहुँच के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अन्य प्रतिभागियों को जानकारी दी जाए;
- (ख) ऐसी पहुँच एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम को प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने की अनुमति तभी दी जाए जब परीक्षण द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी भागीदारी से प्लेटफ़ॉर्म के सामान्य कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा; और
- (ग) एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम को संचालित करने के लिए भागीदार द्वारा तैनात किए गए कार्मिक इसे संचालित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और उपयुक्त हों।

15. समाशोधन और निपटान

(1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से दो या उससे अधिक प्रतिभागियों के बीच योग्य लिखतों में लेनदेन की समाशोधन और निपटान की सुविधा देता है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर या उसके माध्यम से किए गए लेनदेन में शामिल पक्षों के अधिकारों और देयताओं को समय पर पूरा करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था हों और वह अपने प्रतिभागियों को इन व्यवस्थाओं और उनमें होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी प्रदान करेगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर द्वारा किसी एंटीटी के साथ उप-विनियम (1) में संदर्भित व्यवस्थाएं प्राधिकरण की पूर्व-स्वीकृति से की जाएंगी।

बशर्ते, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर निधि समाशोधन और/या निपटान सुविधा की पेशकश करना चाहता है, तो ऐसी सेवा शुरू करने से पहले उसे अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियम, 2024 के अधीन भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से स्वीकृति लेनी होगी।

अध्याय IV

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के सामान्य दायित्व

16. कारोबार निरंतरता योजना और आपदा बचाव साइट

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर डेटा और लेनदेन निष्ठा बनाए रखने और अपने कामकाज को लगातार जारी रखने के लिए ट्रेडिंग निरंतरता योजना और आपदा बचाव साइट बनाएगा और उसे इसका अनुरक्षण करेगा।

17. साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक क्षमता

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय निर्दिष्ट साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाओं का पालन करेगा।

18. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर लागू नियामक अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा।

अध्याय V

विविध

19. डेटा परिरक्षण, पहुँच और उपयोग

(1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर गतिविधियों से जुड़े सभी डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे, और ऐसे डेटा तक पहुँच पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो।

(2) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर गतिविधियों से जुड़े सभी डेटा को आसानी से हासिल किए जा सकने वाले रूप में कम से कम आठ (8) वर्षों तक सुरक्षित रखेगा:

बशर्ते कि विधि अनुसार प्राधिकरण द्वारा किसी जाँच के संबंध में माँगा गया डेटा, ऐसी जाँच पूरी होने की तारीख से कम से कम तीन (3) वर्षों तक अनुरक्षित रखा जाएगा।

बशर्ते यह भी कि किसी समय विशेष पर लागू कानूनों के अधीन अन्वेषक अभिकरण द्वारा किसी अन्वेषण के लिए के संबंध में माँगे गए डाटा को ऐसे कानून के अधीन निर्धारित अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) यदि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण निरस्त कर देता है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर रजिस्ट्रीकरण अभ्यर्पित कर देता है, तो प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को निदेश दे सकता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाली गतिविधियों से जुड़ा सारा डेटा प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण के साथ साझा करेगा।

20. रिटर्न और रिपोर्ट

(1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रारूप और ढंग से रिटर्न, विवरण और जानकारी देनी होगी।

(2) विनियम 3 के प्रति किसी भ्रान्ति के बिना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की बैंक इकाई प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रारूप और विधि से रिटर्न, विवरण और जानकारी देनी होगी।

(3) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को अपने लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, उनको अंतिम रूप दिए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने होंगे।

21. सूचना मांगने का अधिकार

प्राधिकरण किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर से कोई भी जानकारी, दस्तावेज़ या रिकॉर्ड मांग सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर को निर्धारित समय के भीतर उसे प्रस्तुत करना होगा।

22. निरीक्षण, पूछताछ, अन्वेषण और लेखापरीक्षा

(1) प्राधिकरण किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर का निरीक्षण, अन्वेषण, पूछताछ या लेखापरीक्षा कर सकता है।

(2) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के प्रत्येक प्रबंधक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी और अन्य कार्मिक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर के निरीक्षण, पूछताछ, अन्वेषण या लेखापरीक्षा के दौरान प्राधिकरण का सहयोग करेगा।

(3) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के निरीक्षण, पूछताछ, अन्वेषण या लेखापरीक्षा से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण जो भी उचित समझे, कार्रवाई कर सकता है।

23. प्राधिकरण द्वारा निदेश

अधिनियम और उसके अधीन जारी नियमों, विनियम या सहायक निदेशों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण स्वयं या कोई जानकारी मिलने पर या किसी निरीक्षण, पूछताछ या अन्वेषण के दौरान या उसके पूरा होने पर, जनमानस या ट्रेडिंग या प्रतिभागियों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कामकाज के हित में, यथोचित निदेश जारी कर सकता है।

24. प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति

प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की खाता-बहियों, रिकॉर्ड, दस्तावेज़, अवसंरचना, प्रणाली, प्रक्रियाओं या कामकाज की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्ति, यथोचित विधि से कर सकता है।

25. व्यय की वसूली का प्राधिकार

प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की खाता-बहियों, रिकॉर्ड, दस्तावेज़, अवसंरचना, प्रणाली या प्रक्रियाओं के निरीक्षण या अन्वेषण के उद्देश्य से लेखापरीक्षक को दिए गए शुल्क सहित किए गए व्यय को वसूल करने का अधिकार होगा।

26. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

इन विनियम के उपबंधों की व्याख्या या लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शी नोट या परिपत्र के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

27. नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति

(1) प्राधिकरण, लिखित कारणों के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाजार के विकास के हित में, इन नियमों की किसी भी अपेक्षा को कड़ाई से प्रवर्तन करने में ढील दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ढील पाने के लिए, प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें पूरी जानकारी और वे कारण बताए गए हों जिनके आधार पर ढील मांगी जा रही है; साथ ही, यूएसडी 1500 का शुल्क भी जमा कराना होगा।

28. विधि विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

प्राधिकरण, इन नियमों को लागू करने और उनसे जुड़े मामलों के लिए, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित कार्यकलापों को आसान और विनियमित करने के लिए, सहायक अनुदेशों के माध्यम से मानकों, प्रक्रियाओं, तौर-तरीकों, अतिरिक्त अपेक्षाओं, दिशानिर्देशों को निर्धारित कर सकता है और यथोपेक्षित स्पष्टीकरण दे सकता है।

प्रथम अनुसूची

योग्य क्षेत्राधिकार

[विनियम 2 के उप-विनियम (1) का खंड (च) देखें]

संख्या	क्षेत्राधिकार	प्राधिकरण
1.	सिंगापुर	मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ़ सिंगापुर द्वारा जारी 'सिक्युरिटीज एंड फ्यूचर्स रेगुलेशन्स (ऑर्गनाइज़्ड मार्केट्स), 2018' के अधीन मान्यता प्राप्त मार्केट ऑपरेटर।
2.	भारत	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका	सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा आरईजी. – एटीएस के अधीन स्वीकृत की गई वैकल्पिक ट्रेडिंग प्रणाली।
4.	यूनाइटेड किंगडम	फ़ाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) यूके द्वारा अधिकृत मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फ़ैसिलिटी (एमटीएफ)।
5.	यूरोपियन यूनियन	'मार्केट्स इन फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टिव II' के अधीन कार्य करने वाली और उस ईयू देश की नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत और निगरानी की जाने वाली मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फ़ैसिलिटी (एमटीएफ) जहाँ यह वेन्यू रजिस्ट्रीकृत है और कार्य कर रहा है।
6.	दुबई इंटरनेशनल सेंटर (डीआईएफसी)	डीआईएफसी में ऑथोराइज़्ड मार्केट इंस्टीट्यूशन (एएमआई) जिसे निवेश के लिए वैकल्पिक ट्रेडिंग प्रणाली संचालित करने की स्वीकृति मिली है।

द्वितीय अनुसूची

उपयुक्त और समुचित अपेक्षाएं

[विनियम 4 का खंड (ग) देखें]

कोई व्यक्ति उपयुक्त और समुचित माना जाएगा यदि:-

(क) उस व्यक्ति का निष्पक्षता और निष्ठा का रिकॉर्ड हो, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- (i) वित्तीय निष्ठा;
- (ii) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और
- (iii) ईमानदारी।

(ख) उस व्यक्ति पर इनमें से कोई भी अयोग्यता लागू न हो –

- (i) व्यक्ति को किसी न्यायालय ने अनैतिक आचरण, किसी आर्थिक अपराध, या वित्तीय बाज़ारों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े कानूनों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया हो;
- (ii) किसी वित्तीय नियामक प्राधिकरण ने उस व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की हो और वह अभी भी लंबित हो;

- (iii) गलत कार्य के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध कंपनी बंद करने का आदेश पारित किया गया हो;
- (iv) व्यक्ति को 'घोषित दिवालिया' घोषित न किया गया हो;
- (v) किसी नियामक प्राधिकरण ने उस व्यक्ति को वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने, उन्हें उपलब्ध कराने या उनमें लेन-देन करने से रोकने या प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया हो, और उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;
- (vi) प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण ने उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश पारित किया हो, और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो;
- (vii) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया हो और यह निष्कर्ष अभी भी लागू हो;
- (viii) व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ न हो या उसे जानबूझकर भुगतान न करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (ix) व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो; या
- (x) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./322/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 8th September, 2026

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (ELECTRONIC TRADING PLATFORMS) REGULATIONS, 2026

F. No. IFSCA/GN/2026/ 016.— *In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); section 45W of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely :-*

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Electronic Trading Platforms) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -

- (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) "Algorithmic Trading Systems (ATS)" means the hardware, software, procedures, and processes used to originate a transaction on an Electronic Trading Platform using a system-driven execution mechanism;
- (c) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (d) "Competent Authority" means,—
 - (i) Chairperson;
 - (ii) Whole-Time Member or Committee of the Whole-Time Members or officer(s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson;
- (e) "Eligible Instruments" means securities, money market instruments, foreign exchange, and derivatives as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, or other instruments of a like nature, as may be specified by the Authority from time to time.

Explanation: For the removal of doubts, it is hereby clarified that the scope of this definition shall also include the instruments mentioned in this clause which are denominated in Indian Rupee but settled in a specified foreign currency.

- (f) "Eligible Jurisdiction" shall mean the jurisdictions specified in the First Schedule;
- (g) "Electronic Trading Platform" means an electronic system located in the International Financial Services Centre through which offers for sale, purchase or exchange of Eligible Instruments are regularly made by the Participants and which, upon acceptance of such offer, may enable the clearing and settlement of such Eligible Instruments between the Participants;
- (h) "Electronic Trading Platform Operator (ETP Operator)" means an entity that has been granted registration under sub-regulation (2) of regulation 5 to operate an Electronic Trading Platform;
- (i) "International Financial Services Centre (IFSC)" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (j) "Key Managerial Personnel" shall have the same meaning as assigned to it in clause (51) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (k) "Market Abuse" for the purpose of these Regulations, shall mean any action by a Participant on an Electronic Trading Platform, whether executed manually or through an Algorithmic Trading System, with the intention to unreasonably disadvantage other Participant(s), distort the pricing mechanisms on an ETP, or create artificial supply and demand for Eligible Instruments;
- (l) "Net Worth" for the purpose of these Regulations, shall mean paid-up equity capital, compulsorily convertible preference shares, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of assets, but not include reserves created by revaluation of assets adjusted for accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that compulsorily convertible preference shares shall mean preference shares, whether cumulative or non-cumulative, which are compulsorily convertible into equity shares, and the shareholder agreement(s) must specifically prohibit the withdrawal of such preference capital at any time.

- (m) "Participant" means a person transacting in the Eligible Instruments through an ETP;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION

3. Application for seeking registration.

(1) No person shall operate an Electronic Trading Platform in the IFSC unless it has obtained a registration, as an Electronic Trading Platform Operator, under these regulations:

Provided that an IFSC Banking Unit shall not be required to obtain the registration if such Unit or its parent bank, as the case may be, is:—

- a) the sole provider of buy or sell quotes in Eligible Instrument(s) on its Electronic Trading Platform; and
- b) one of the counterparties to every transaction undertaken through such Electronic Trading Platform.

Provided further that a person operating an electronic trading platform located outside the International Financial Services Centre and providing services to an entity in the International Financial Services Centre shall not be required to obtain a registration as an Electronic Trading Platform Operator, under these Regulations.

(2) A company incorporated in the International Financial Services Centre shall be eligible to seek registration to act as an Electronic Trading Platform Operator :

Provided that an entity operating an electronic trading platform, by whatever name called, in an Eligible Jurisdiction may setup a branch in the International Financial Services Centre and obtain registration from the Authority under these Regulations:

Provided further that a financial institution set up in the International Financial Services Centre may also be eligible to obtain certificate of registration, subject to such terms and conditions as may be specified by the Authority.

(3) An application for certificate of registration to act as an Electronic Trading Platform Operator shall be submitted to the Authority in such form and manner, along with such fees, as may be specified by the Authority.

4. Requirements for grant of registration

(1) The Authority, while examining the application filed under regulation 3, shall take into account such factors as it considers relevant for the grant of certificate of registration, including the following:

- (a) track record, management expertise and financial soundness of the applicant or its promoter(s);
- (b) ability to employ sufficient number of individuals having adequate professional and other relevant experience;
- (c) the directors, Key Managerial Personnel, and persons exercising control over the applicant i.e., the natural persons who ultimately own, control, or significantly influence the applicant's operations, assets, or strategic decisions satisfy the “fit and proper” criteria as specified in the Second Schedule;

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that the applicant seeking certificate of registration shall ensure that such persons are “fit and proper”, at all times, during the validity of its registration.

- (d) strength of risk management systems and accompanying internal controls;
- (e) ability to satisfy the Net Worth requirements specified in these regulations;
- (f) viability of the business plan and projections submitted by the applicant.

5. Grant of registration

(1) Upon considering an application for certificate of registration, if the Authority is satisfied that the applicant, *prima facie*, fulfils the conditions for grant of registration, the Authority may issue an “in-principle approval” with or without additional conditions to be fulfilled by the applicant, prior to the grant of registration:

Provided that the “in-principle approval” granted to an applicant may be revoked by the Authority if the applicant is unable to fulfil with the condition(s) specified in the “in-principle approval”, to the satisfaction of the Authority.”

(2) The Authority may, upon being satisfied that the applicant fulfilled the requirements specified under these regulations, including the additional conditions imposed, if any, while granting “in-principle approval” grant registration to the applicant to operate as Electronic Trading Platform Operator subject to such conditions as the Authority may deem fit, and also specify the following:

- (a) the Eligible Instrument(s) that may be offered for sale, purchase or exchange on the Electronic Trading Platform ; and
- (b) the categories of persons eligible to be Participants of such platform.

(3) In addition to the conditions specified in sub-regulation (2), an Electronic Trading Platform Operator shall also comply with such other conditions as may be specified by the Authority from time to time.

(4) The registration granted under sub-regulation (2) shall remain valid till it is cancelled by the Authority or surrendered by the Electronic Trading Platform Operator.

6. Refusal to grant registration

(1) If the Authority, upon examination of the application, is of the opinion that the certificate of registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the applicant, giving it thirty days' time to rectify them:

Provided that the Authority may, in its sole discretion, extend the aforesaid period of thirty days to such further period as it may deem fit.

Provided further that no such extension shall be granted beyond a period of ninety days without the permission of the Chairperson who may extend such period up to one-hundred and eighty days, for the reasons to be recorded in writing.

(2) If the applicant fails to rectify the deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority shall refuse to grant the registration and communicate the same to the applicant, with reasons thereof:

Provided that no such refusal shall be made without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard by way of filing written submissions.

(3) The applicant whose application is refused under sub-regulation (2) may submit a fresh application for registration after a period of six (6) months from the date of communication of such refusal by the Authority.

7. Suspension or Cancellation of registration

If the Authority is satisfied that an Electronic Trading Platform Operator has failed to comply with any of the conditions of its certificate of registration, provisions of these regulations, order or direction issued by the Authority, or that the activity of the Electronic Trading Platform Operator is being carried on in a manner prejudicial to the interests of the Participants, it may suspend or cancel the registration granted to such Electronic Trading Platform Operator:

Provided that the no order for suspension or cancellation of the registration shall be issued without giving such Electronic Trading Platform Operator a reasonable opportunity of being heard by way of filing written submissions.

8. Surrender of registration

(1) An Electronic Trading Platform Operator may file an application to the Authority for surrender of its registration with the Authority, in such form and manner as may be specified.

(2) Upon examination of the application filed under sub-regulation (1) and being satisfied that the surrender of registration is unlikely to cause any material adverse effect on the financial services market in the International Financial Services Centre or the interests of the Participants, the Authority may permit such surrender, subject to such conditions as it may deem fit.

(3) The surrender of registration shall become effective only upon its acceptance by the Authority.

9. Net Worth requirements

(1) An Electronic Trading Platform Operator set up as a company in the IFSC shall, at all times, , maintain a Net Worth of at least USD 200,000 or its equivalent in any specified foreign currency.

(2) An Electronic Trading Platform Operator set up as a branch shall, at all times, maintain a Net Worth of at least USD 200,000 or its equivalent in any specified foreign currency, with its parent.

(3) As a risk management measure, the Authority may specify a higher Net Worth requirement for an Electronic Trading Platform Operator, at any time, having regard to the nature and scale of its business.

(4) An Electronic Trading Platform Operator shall, within six months from the closure of every financial year, submit an audited Net Worth certificate to the Authority.

(5) In case of any shortfall in the Net Worth as specified in this regulation, the Electronic Trading Platform Operator shall immediately restore the same and report compliance of the same within a period of fifteen days the occurrence of such event, to the Competent Authority.

Chapter III

OPERATING GUIDELINES

10. General obligations

An ETP Operator shall:

- (a) lay down and maintain transparent rules and procedures for ensuring fair and orderly trading on the Electronic Trading Platform;
- (b) lay down objective criteria and put in place the necessary infrastructure for the orderly and efficient execution of orders;
- (c) establish and maintain arrangements for the sound management of the technical operations of the Electronic Trading Platform, including effective business continuity arrangements to address the risks of systemic disruption;
- (d) lay down and maintain transparent rules regarding the criteria for determining the Eligible Instruments that can be traded on the ETP;
- (e) develop a mechanism to provide, access to, sufficient publicly available information to enable its Participants to take a well-informed investment decision, in relation to, the nature of the Participants and the type of Eligible Instrument traded;
- (f) lay down and maintain a comprehensive policy of managing conflicts of interest, that shall include measures for identification, mitigation, disclosure, and monitoring of conflicts, which shall, *inter-alia*, encompass situations where the Electronic Trading Platform Operator or its affiliates, directly or indirectly, participate as Participants;
- (g) make available to its Participants a screen-based trading system for execution or submission of trades on the Electronic Trading Platform;
- (h) put in place a real time surveillance system for monitoring of prices, volumes and positions, to ensure market integrity;
- (i) put in place defined procedures for handling identified surveillance cases, including procedures for investigation, escalation and regulatory reporting;
- (k) make necessary arrangements for its Participants to connect to the Electronic Trading Platform using secure communication channels;
- (l) possess the capability to have a comprehensive network of Participants, and adequate facilities to admit and regulate its Participants;
- (m) put in place a mechanism for redressal of grievances arising out of trades undertaken on the Electronic Trading Platform, in such form and manner as may be specified by the Authority from time to time:
Provided that any dispute arising from or in relation to the settlement of the trade undertaken on the Electronic Trading Platform shall be dealt with in accordance with the applicable laws and Operating Policy;
- (n) have the facility to disseminate information about trades, quantities and quotes in real time;
- (o) employ sufficient number of persons possessing adequate professional and other relevant experience;
- (p) forthwith inform the Competent Authority in writing, in case of any material change in information previously submitted to the Authority; and
- (q) comply with any other requirements as may be specified by the Authority.

11. Participation on the Electronic Trading Platform

(1) Every person, including institutions, whether regulated or unregulated, proprietary trading firms, funds, family offices, and treasury centres shall be eligible to be admitted as a Participant.

Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that a person resident in India, in terms of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), may also be admitted as a Participant, if such person is

permitted under the provisions of the said Act, or any other law for the time being in force in India, to undertake transactions in Eligible Instruments outside India.

(2) An Electronic Trading Platform Operator shall lay down objective, fair, transparent, and non-discriminatory criteria for admitting a person as a Participant.

(3) Prior to admitting a person as a Participant, an Electronic Trading Platform Operator shall undertake due diligence to ensure that such person:

(a) is of good repute;

(b) has sufficient competence and experience in undertaking transactions on an Electronic Trading Platform; and

(c) has adequate organisational arrangements, including financial and technological resources, appropriate to the nature of its operations.

(4) An Electronic Trading Platform Operator shall uniquely identify its Participants using Legal Entity Identifier, Permanent Account Number (PAN) or any other equivalent document.

12. Products traded on the Electronic Trading Platform

The Electronic Trading Platform Operator shall allow trading on the Electronic Trading Platform in only those Eligible Instruments which are specified under clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 5.

13. Operating policy

(1) An Electronic Trading Platform operator shall put in place operating policy, approved by its board which shall be,:

(a) objective, fair, transparent, and non-discriminatory; and

(b) legally binding and enforceable against each Participant.

(2) Such policy shall inter alia include provisions for

(a) onboarding of Participants on the Electronic Trading Platform, as well as their suspension and termination;

(b) roles and responsibilities of the Electronic Trading Platform Operator;

(c) a liability framework for the Participants in the case of breach of the policy;

(d) restrictions or other requirements for using the Electronic Trading Platform;

(e) processing and execution of orders, risk management and control; and

(f) Complaint Redressal and Dispute Resolution Mechanism for participants

(3) Any material change in such policy shall be intimated to the Competent Authority forthwith.

Explanation: For the purposes of this sub-regulation, the expression “material change” shall mean a significant alteration in the procedures, systems, performance standards, or safety requirements, specified in such policy, which affects the ability Electronic Trading Platform Operator to meet its contractual obligations.

(4) An Electronic Trading Platform Operator shall establish and maintain adequate and effective systems and controls, including policies and procedures, to ensure that the Participants comply with such policy.

(5) An Electronic Trading Platform Operator shall promptly address gaps or deficiencies identified in such policy.

(6) An Electronic Trading Platform Operator shall make such policy, including the changes effected thereon, available to the public, *inter alia*, by hosting them on its official website.

14. Risk management

(1) An Electronic Trading Platform Operator shall

(a) lay down sound risk management system and infrastructure for comprehensive management of risks, and ensure that the risks associated with its operations are properly identified and prudently managed;

(b) put in place access control measures for its Participants and take steps to prevent unauthorised access of the Electronic Trading Platform;

(c) have effective systems, controls, and procedures to:

- (i) ensure that its trading systems are resilient, possess adequate capacity to deal with peak order and message volumes, and are able to operate in an orderly manner under conditions of market stress;
 - (ii) reject orders that exceed its pre-determined volume and price thresholds, and to temporarily halt trading of Eligible Instruments traded on its facility where there is a significant price movement in relation to such Eligible Instruments; and
 - (iii) prevent and minimise error trades, promptly identify and rectify such trades where they occur, and determine whether error trades are related to disorderly market activity; and
 - (d) implement and maintain appropriate measures to identify, deter, and prevent Market Abuse on and through its Electronic Trading Platform, and promptly report any incident of Market Abuse to the Authority.
- (2) Where the Electronic Trading Platform Operator permits the Participants to access the Electronic Trading Platform through Algorithmic Trading System, it shall ensure that:
- (a) other Participants on the Electronic Trading Platform are made aware of such access;
 - (b) such access is permitted after the Algorithmic Trading System has been tested to assure that it does not affect the normal operations of the platform; and
 - (c) the personnel deployed by such Participant to operate the Algorithmic Trading System are adequately trained and qualified to operate it.

Clearing and Settlement

15. (1) An Electronic Trading Platform Operator that enables the clearing and settlement of transactions in Eligible Instruments between two or more Participants through its electronic system shall ensure that satisfactory arrangements are in place for securing the timely discharge of the rights and liabilities of the parties to transactions conducted on or through such electronic system and shall inform its Participants of the details of such arrangements and any changes thereto.
- (2) The arrangements referred to in sub-regulation (1) shall be entered into by the Electronic Trading Platform Operator, with an entity, with the prior approval of the Authority.
- Provided that*, if an Electronic Trading Platform operator desirous of offering services of clearing and /or settlement of funds shall, prior to offering such services, seek authorisation as a payment system operator under the International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS OF AN ELECTRONIC TRADING PLATFORM OPERATOR

16. Business continuity plan and disaster recovery site

An Electronic Trading Platform Operator shall establish and maintain a business continuity plan and a disaster recovery site to maintain data and transaction integrity and ensure the continuity of its operations.

17. Cyber security and cyber resilience

An Electronic Trading Platform Operator shall comply with such cyber security and cyber resilience requirements as may be specified by the Authority from time to time.

18. Appointment of compliance officer

An Electronic Trading Platform Operator shall appoint a compliance officer, who shall be responsible for ensuring compliance with the applicable regulatory requirements.

Chapter V

MISCELLANEOUS

19. Preservation, access and use of data

(1) An Electronic Trading Platform Operator shall ensure that the confidentiality and security of all data relating to activities on the Electronic Trading Platform is maintained, and access to such data is strictly under its control.

(2) An Electronic Trading Platform Operator shall maintain all data relating to activities on the Electronic Trading Platform, in a readily retrievable form, for at least eight (8) years:

Provided that the data which may be sought in connection with any investigation by the Authority, shall be maintained for at least three (3) years from the date of completion of such investigation:

Provided further that the data which may be sought in connection with any investigation by any investigative agency, under any law for the time being in force, shall be maintained for such period as prescribed under such law.

(3) In the event of cancellation of the registration by the Authority or surrender of the registration by the Electronic Trading Platform Operator, the Authority may direct the Electronic Trading Platform Operator to share all data relating to activities on the Electronic Trading Platform with the Authority or such other agency as may be specified by the Authority.

20. Returns and reports

(1) An Electronic Trading Platform Operator shall furnish such returns, statements and particulars, in such form and manner as may be specified by the Authority.

(2) Without prejudice to regulation 3, an International Financial Services Centre Banking Unit operating an Electronic Trading Platform shall furnish such returns, statements and particulars, in such form and manner as may be specified by the Authority.

(3) An Electronic Trading Platform Operator shall submit its audited annual financial statements to the Authority within thirty (30) days of their finalisation.

21. Power to call for information

The Authority may, at any time, call for any information, document or record from an Electronic Trading Platform Operator, and such Electronic Trading Platform Operator shall submit the same within the specified time.

22. Inspection, inquiry, investigation, and audit

(1) The Authority may, at any time, undertake inspection or investigation, conduct inquiry or audit of an Electronic Trading Platform Operator.

(2) Every manager, director, managing director, chairperson, officer and other employee of an Electronic Trading Platform Operator shall have the obligation to cooperate with the Authority during the inspection, inquiry, investigation or audit of such ETP Operator.

(3) The Authority may, upon consideration of the report arising out of inspection, inquiry, investigation, or audit of an Electronic Trading Platform Operator, take such action as it may deem fit.

23. Directions by the Authority

Without prejudice to the exercise of its powers under the provisions of the Act and the rules, regulations, or subsidiary instructions issued thereunder, the Authority may, either *suo motu* or on receipt of any information or during pendency or on completion of any inspection, inquiry or investigation, in the interest of public or trade or Participants or the operations of an Electronic Trading Platform, issue such directions as it deems fit.

24. Appointment of auditor by the Authority

The Authority may appoint an auditor to audit the books of account, records, documents, infrastructure, systems, procedures or affairs of an Electronic Trading Platform Operator, in such manner as it may deem fit.

25. Authority to recover the expenses

The Authority shall be entitled to recover from an Electronic Trading Platform Operator such expenses, including the fees paid to the auditors, as may be incurred by it for the purposes of inspecting or investigating the books of account, records, documents, infrastructures, system or procedures of an Electronic Trading Platform Operator.

26. Power to remove difficulties

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through subsidiary instructions.

27. Power to relax strict enforcement of the regulations

(1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, in the interest of development of financial services market in the International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which relaxation is being sought shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee of USD 1500.

28. Power to specify procedures and issue clarifications

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, or in order to facilitate and regulate the activities relating to Electronic Trading Platforms, the Authority may specify norms, procedures,

processes, manners, additional requirements, guidelines or provide relaxations, by way of subsidiary instructions and issue such clarifications as may be required.

FIRST SCHEDULE

Eligible Jurisdictions

[see clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2]

No.	Jurisdiction	Authorisation
1.	Singapore	Recognised Market Operator under the Securities and Futures (Organised markets) Regulations, 2018, issued by the Monetary Authority of Singapore.
2.	India	ETP Operator under the Master Direction -Reserve Bank of India (Electronic Trading Platforms) Directions, 2025, issued by the Reserve Bank of India.
3.	United States of America	Alternative trading systems approved under Reg – ATS by the Securities and Exchange Commission.
4.	United Kingdom	Multilateral Trading Facility (MTF) authorised by the Financial Conduct Authority, UK (FCA).
5.	European Union	Multilateral Trading Facility (MTF) authorised and supervised by the National Competent Authority (NCA) of the EU Participant State where the venue is registered and operating under Markets in Financial Instruments Directive II.
6.	Dubai International Financial Centre (DIFC)	An Authorised Market Institution (AMI) in DIFC, authorised to operate an alternative trading system for investments.

SECOND SCHEDULE

Fit and Proper requirements

[see clause (c) of regulation 4]

A person shall be fit and proper if:-

(a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to:

- (i) financial integrity;
- (ii) good reputation and character; and
- (iii) honesty.

(b) such person has not incurred any of the following disqualifications –

- (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence under laws dealing with financial markets and financial institutions;
- (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
- (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
- (iv) the person has not been declared an undischarged insolvent;
- (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

- (vi) any other order against the person has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (viii) the person is financially not sound or has been categorised as a wilful defaulter;
- (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (x) any other disqualification as may be specified by the Authority.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./322/2026-27]